न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज मुल्या .... बनाम .... रामजीलाल मु.नं.– 66/24 किस्म – T.I.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	15.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से आदेश प्रा.पत्र T.I. लिखवाया जा नहीं सका। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा.पत्र T.I. दिनांक 29.7.25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
	29.7.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। ~~साथ~~ मूल वाद के साथ नत्थी हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
66/2024	07.10.2024	29.07.2025

बउनवान

1. मूल्या पुत्र नानगा, निवासी गढ हिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।

..प्रार्थी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र नानगा, निवासी गढ हिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
2. रामजीवर पुत्र नानगा, निवासी गढ हिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
3. प्रभूदयाल पुत्र नानगा, निवासी गढ हिम्मतसिंह, तहसील मण्डावर, दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील मण्डावर, दौसा।

..अप्रार्थीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक प्रार्थी – श्री गोपाल सिंह।
2. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 – श्री मधुसूदन सैनी, श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी की भूमि विवादित आराजीयात खसरा सं. 76 रकबा 0.06 हैक्टे., 77 रकबा 0.43 हैक्टे., 79 रकबा 0.06 हैक्टे., 80 रकबा 0.35 हैक्टे., 81 रकबा 0.15 हैक्टे., 82 रकबा 0.15 हैक्टे., 83 रकबा 0.27 हैक्टे., 86 रकबा 0.13 हैक्टे., 87 रकबा 0.35 हैक्टे., 88 रकबा 0.68 हैक्टे., कुल किता 10, कुल रकबा 2.62 हैक्टे. ग्राम टीकरी किलानोत, तहसील मण्डावर में स्थित है। विवादित आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। भूमि में प्रार्थी का 1/2 भाग दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजीयात का सभी सहखातेदारान ने मौके पर मनबंट कर रखा है और मनबंट आई हिस्से की आराजीयात पर काविज काश्त चले आ रहे है। मनबंट के अनुसार सायल के हिस्से में खसरा नम्बर 76, 77, 79, 88 आये थे जिन पर वादी काबिज काश्त रहा है। विवादित आराजीयात का अभी तक विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है और बिना विधिवत तकास्मा के कोई भी सहखातेदार न तो किसी प्रकार का इम्प्रूवमेण्ट कर सकता, ना ही बेचान कर सकता है। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 लाठी व पैसे वाले झगडालू किस्म के बदमाश किस्म के व्यक्ति है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात की डौल मेड काटकर आये दिन लडाई झगडा करते रहते है और हिस्से से अधिक भूमि को जोत देते है। प्रार्थी शान्ति प्रिय अकेला व्यक्ति है जो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। दिनांक 01.10.2024 को प्रार्थी अपने कब्जे काश्त की आराजीयात की आगामी फसल सरसों बुवाई के लिये तैयार कर रखा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

था, इतने में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 मौके पर आ धमके और प्रार्थी से कहा कि हम तुझे तेरे हिस्से के खेतों को काश्त नहीं करने देगें और किसी लाठी वाले व पैसे वाले व्यक्ति को बेचान कर देगे और यदि तू विरोध करेगा तो तुझे गॉव से भगा कर तेरे हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात पर कब्जा कर बेदखल कर देंगे। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मैं मनबंट के समय से ही मेरे हिस्से के जो आपने उस समय बताये थे, उन्हीं पर काश्त करता चला आ रहा हूँ। मुझे आपने खेत भी कम दिये है और आप उनको भी डौल मेड काट कर अपने खेतों में मिलाने की वारदात करते रहते हो और मुझे बोने जोतने नहीं देते हो। आप ऐसा मत करो, भविष्य में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो, इसलिये सभी खातेदारान तहसील में चलकर बंटवारा करवा लेते है जिससे सभी को अपने–अपने हिस्से की सम्पूर्ण जमीन मिल जायेगी और अलग अलग खाता कायम हो जावेंगे लेकिन अप्रार्थीगण ने साफ इन्कार कर दिया कि हम न तो कभी विधिवत बंटवारा करायेगें और ना ही तुझे काश्त करने देंगे। हम हमारी मर्जी के मुताबिक काश्त करेगें, पुख्ता निर्माण करेगे और बेचान करेंगे। यदि अप्रार्थीगण अपनी उक्त कुचेष्ठा में सफल हो गये तो प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी और सायल अपने अधिकारों से वंचित हो जावेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है। प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का सहखातेदार है तथा अपने हिस्से पर काबिज है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वे अपनी कुचेष्ठा में सफल हो जायेगें जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखूबी साबित है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण को दौराने दावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात में प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावे। प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। वाद पत्र के निर्णय तक पुख्ता निर्माण नहीं करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति को यथावत बनाय रखे। प्रार्थी के खसरा सं. 76, 77, 79 व 88 में काश्त करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.10.2024 को अप्रार्थी सं. 1 न्यायालय में उपस्थित हुये तथा जवाब प्रार्थना पत्र के लिये समय चाहा। दिनांक 28.11.2024 को प्रार्थी की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी कि अप्रार्थीगण ग्राम टीकरी किलानोत, तहसील मण्डावर, जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 76, 77, 79, 80 लगायत 83, 86, 87, 88 के राजस्व रिकॉर्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे।

3. अप्रार्थी सं. 4 ने, नोटिस की तामील के बावजूद, न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बन्द किया गया।

4. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थी व

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है। उक्त आराजीयात का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है। प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है, यदि न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाता है तो अप्रार्थीगण अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे जिससे उन्हें अपूरणीय क्षति होगी। विवादित आराजीयात पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है जिन्होंने अपने–अपने हिस्सानुसार बँटवारा कर रखा है और मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थी ने मनगढंत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को हैरान परेशान करने की नीयत से दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने 40 वर्ष पूर्व उक्त खसरा सं. आराजी को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 को मौखिक रूप से विक्रय कर दी थी। अब प्रार्थी के बेईमानी आ गयी और गलत प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। खसरा सं. 76, 77, 79, 88 पर अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 का कब्जा है। उक्त खसरों से प्रार्थी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त खसरा नम्बरान पर अप्रार्थीगण करीब 40 वर्षो से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं और उक्त आराजी पर सायल व गैरसायल अपने बुजुर्गान के समय से ही बंटवारा कर रखा है, उसी के अनुसार उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थी की अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 से रंजिश व द्वेषता होने के कारण गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा के खारिज करें।

5. प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –

(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।

तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।

6. प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र तकास्मा तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। जमाबन्दी संवत् 2073–2076 के अनुसार, विवादित आराजीयात के प्रार्थी तथा अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। विवादित आराजीयात का वाद के लम्बित रहने की अवधि के दौरान, यदि दीगर व्यक्तियों को बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी के अधिकार पर विपरीत प्रभाव होगा तथा इससे वाद बहुलता में व मौके पर विवाद में बढ़ोत्तरी होगी। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। आराजीयात के मौके की वर्तमान स्थिति में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार से बदलाव किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक विवादित आराजीयात को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

7. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर ग्राम टीकरी किलानोत, पटवार हल्का रायपुर, तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित विवादित आराजीयात खसरा सं. 76, 77, 79, 80 लगायत 83, 86, 87, 88 के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.11.2024 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट (Confirm) किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही प्रार्थी के हिस्से में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकेगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

8. निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)